

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती दिलखुश  
किस्म मुकदमा - 53 रा.का.अ.

विपक्षी :- श्रीमती शान्ताबाई  
पत्रावली संख्या : 103/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सुचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 29.12.2021</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प भीमल में पेश हुई। तहसीलदार मावली से बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। प्रकरण में अधिवक्ता वादीयां उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। तहसीलदार मावली से प्राप्त बंटवाडे को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादीयां की बहस पर मनन किया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे हैं। वादीया द्वारा तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादीया बंटवाडे पर सहमत होने से वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p>परिणामस्वरूप वादीया का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :-</p>	

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	रामसिंह पुत्र करणसिंह राजपूत सा. देह खातेदार	912/1	0.2266	बा.द्वि.	0.38
	<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.2266</b>	<b>-</b>	<b>0.38</b>
2	दिलखुश पत्नी सुरेश कुमार जैन (लोढा) सा. वल्लभनगर खातेदार	912/2	0.4532	बंजड	1.51
	<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.4532</b>	<b>-</b>	<b>1.51</b>
3	शान्ताबाई पत्नी रोशनलाल जैन (लोढा) सा. वल्लभनगर खातेदार	912/3	0.2266	बा.द्वि.	0.38
	<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.2266</b>	<b>-</b>	<b>0.38</b>
4	मनोहरलाल पुत्र मोहनलाल मेनारिया सा. 366 पानेरियों की मादडी उदयपुर खातेदार	912 मी.	0.2267	बा.द्वि.	0.38
	<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.2267</b>	<b>-</b>	<b>0.38</b>

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली



## अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री मयंक मनीष, I.A.S

मुकदमा नम्बर : 103/19 (वाद)

### उनवान

1. श्रीमती दिलखुश पत्नी सुरेश कुमार लोढा जैन निवासी वल्लभनगर तह. वल्लभनगर।

.....वादीयां

### बनाम

1. श्रीमती शान्ताबाई पत्नी रोशनलाल मेनारिया निवासी वल्लभनगर तह. वल्लभनगर।
2. श्री मनोहरलाल पिता मोहनलाल मेनारिया निवासी 366 पानेरियों की मादडी तह. गिर्वा।
3. श्री रामसिंह पिता करणसिंह राजपूत निवासी वांगरोदा तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीयां की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.12.2021 को मयंक मनीष, I.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	रामसिंह पुत्र करणसिंह राजपूत सा. देह खातेदार	912/1	0.2266	बा.द्वि.	0.38
	<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.2266</b>	<b>—</b>	<b>0.38</b>
2	दिलखुश पत्नी सुरेश कुमार जैन (लोढा) सा. वल्लभनगर खातेदार	912/2	0.4532	बंजड	1.51
	<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.4532</b>	<b>—</b>	<b>1.51</b>
3	शान्ताबाई पत्नी रोशनलाल जैन (लोढा) सा. वल्लभनगर खातेदार	912/3	0.2266	बा.द्वि.	0.38
	<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.2266</b>	<b>—</b>	<b>0.38</b>
4	मनोहरलाल पुत्र मोहनलाल मेनारिया सा. 366 पानेरियों की मादडी उदयपुर खातेदार	912 मी.	0.2267	बा.द्वि.	0.38
	<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.2267</b>	<b>—</b>	<b>0.38</b>

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 29.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मयंक मनीष I.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO)मावली